न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ, जिला–भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी नेहा छीपा (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 111 / 2023

उनवान

1. नेच्यूरल स्टोन इम्प्रेससेन्स प्रा0लि0, पुसा निवास, साबुन मार्ग, भीलवाडा जरिये डायरेक्टर श्री पवन कुमार भरतिया पुत्र श्री मुरारी लाल जी भरतिया आय वयस्क नि0 38 कमला एनक्लेव, चितौड रोड भीलवाडा।

——प्रार्थीगण

बनाम

1. उदा पुत्र श्री किशना माता धापू अहीर नि0 तख्तपुरा तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
2. मदन पुत्र श्री किशना माता धापू अहीर नि0 तख्तपुरा तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
3. मुना पुत्री श्री किशना माता धापू अहीर नि0 तख्तपुरा तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
4. रोसा पुत्री श्री किशना माता धापू अहीर नि0 तख्तपुरा तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
5. हजारी पुत्र श्री चुना अहीर नि0 तख्तपुरा तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
6. नाराण पुत्र श्री किशना माता धापू अहीर नि0 तख्तपुरा तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।(राज.)

———अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 20–05–2025

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भूॅ–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 10.07.2023 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम **तख्तपुरा पटवार हल्का तख्तपुरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हमीरगढ तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) के आराजी नम्बर 1959/1230 रकबा 0.0879 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1961/1233 रकबा 0.1132 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1963/1234 रकबा 0.1579 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1965/1243 रकबा 0.3026 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1967/1244 रकबा 0.1453 हैक्टयर, कुल किता 05 रकबा 0.8069 है0 भूमि स्थित है।** वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 10.07.2023 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी संख्या 01 लगायत 06 कि ओर से अधिकारी पत्र श्री पृथ्वीराज चौधरी का पेश। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

—::आदेश::—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि ग्राम **तख्तपुरा पटवार हल्का तख्तपुरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हमीरगढ तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) के आराजी नम्बर 1959/1230 रकबा 0.0879 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1961/1233 रकबा 0.1132 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1963/1234 रकबा 0.1579 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1965/1243 रकबा 0.3026 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1967/1244 रकबा 0.1453 हैक्टयर, कुल किता 05 रकबा 0.8069 है0 भूमि स्थित है।** जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रकिया के अनुसार की जावे तथा मौका कमिश्नर फीस 1000/–रू0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 20.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

(नेहा छीपा)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ